[2024] 3 एस.सी.आर. 329 : 2024 आई.एन.एस.सी 156

कुमार उर्फ शिवा कुमार

बनाम

कर्नाटक राज्य

(क्रिमिनल अपील संख्या - 1427/2011)

01 मार्च 2024

[बेला एम. त्रिवेदी और उज्ज्वल भुइयां,* जे.जे.]

विचारणीय मुद्दा

अपीलकर्ता को विचारण न्यायालय द्वारा आई.पी.सी. की धारा 306 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था, और इस दोषसिद्धि को उच्च न्यायालय द्वारा भी बरकरार रखा गया। क्या अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के विरुद्ध आई.पी.सी. की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप को सिद्ध करने में सफल रहा ?

शीर्ष टिप्पणियाँ †

दंड संहिता, 1860 - धारा 306 - अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि अपीलकर्ता पहले पीड़ित-मृतक X के घर में किराएदार के रूप में रहता था - आरोप लगाया गया था कि जब पीड़ित अपनी बहन के बच्चों को स्कूल छोड़कर घर लौट रही थी, तो अपीलकर्ता ने उसे उससे शादी करने की धमकी दी - इसके बाद, उसने घर में ज़हर खा लिया - जिसके परिणामस्वरूप, अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई - ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को आई.पी.सी. की धारा 306 के तहत दोषी ठहराया - उसकी दोषसिद्धि को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा - औचित्य:

अभिनिर्धारित: रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत न केवल स्पष्ट विसंगतियों को उजागर करते हैं, बल्कि अभियोजन पक्ष के बयान में बड़ी कमियों को भी दिखाते हैं - इसके अलावा, इसमें महत्वपूर्ण बातें भी छोड़ दी गई हैं - पी.डब्लू-1 मृतक का पिता और पहला मुखबिर है - उसके अनुसार, वह मृतक के साथ उसी घर में रहता था - उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, वह सुबह 7:00 बजे घर से बाहर गया था और सुबह 10:00 बजे घर वापस आया, तो उसने पाया कि उसकी बेटी X को ज़हर खाने के कारण एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था - जबकि, पी.डब्लू-2, जो मृतक की बहन है, ने गवाही दी कि उनके पिता शादी के बाहर किसी दूसरी महिला के साथ अलग रहते थे - उसने यह भी कहा कि उसने अपने पिता को अस्पताल में मृतक के भर्ती होने के दूसरे दिन देखा था - यदि पी.डब्लू-2 के बयान पर विश्वास किया जाए, तो पी.डब्लू-1, जो पहला मुखबिर है, के सबूतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता - पी.डब्लू-1 और पी.डब्लू-2 दोनों ने दावा किया कि मृतक ने उन्हें घटना से पंद्रह दिन पहले बताया था कि अपीलकर्ता द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था - हालाँकि, उनमें से किसी ने भी न तो अपीलकर्ता का सामना किया और न ही पुलिस में

कोई शिकायत दर्ज कराई - पी.डब्लू-4 (मृतक की एक और बहन) के अनुसार, मृतक X को सुबह 11:00 से 11:15 बजे के बाद ही नर्सिंग होम ले जाया गया था - यह फिर से पी.डब्लू-1 के उस बयान का खंडन करता है कि जब वह उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन सुबह 10:00 बजे घर वापस आया था, तो उसकी बेटी X को पहले ही नर्सिंग होम ले जाया जा चुका था - साथ ही, प्राथमिकी में यह भी कहा गया था कि पड़ोसियों ने खिड़की से देखा था कि X बेहोश पड़ी थी - पड़ोसियों में से केवल दो की ही जाँच की गई और उन्हें भी विरोधी घोषित कर दिया गया - पुलिस द्वारा किसी अन्य पड़ोसी की जाँच नहीं की गई - अभियोजन पक्ष के पास इस तरह की स्पष्ट चूक के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है - फिर से, मुखबिर पी.डब्लू-1 के अनुसार, पड़ोसी ही थे जिन्होंने सबसे पहले खिड़की से मृतक को फर्श पर दर्द से कराहते हुए और फ़ोन लगातार बजते हुए देखा था - यह बिल्कुल भी विश्वास करने योग्य नहीं है कि जब रिसीवर लटका हुआ था (जैसा कि पी.डब्लू-4 के सबूतों से सामने आया है), तो फ़ोन लगातार कैसे बज सकता था - इस तरह के स्पष्ट विरोधाभासों और चूकों से प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए - इसके अलावा, जिन डॉक्टरों ने सबसे पहले X का इलाज किया था, उनकी जाँच नहीं की गई; वे इस बात पर प्रकाश डाल सकते थे कि क्या ऑर्गेनोफॉस्फेट यौगिक का सेवन इंजेक्शन के माध्यम से किया गया था। (X की दोनों कोहनियों के सामने के हिस्से पर इंजेक्शन के कई निशान मौजूद थे) या इसे मुँह से खाया गया था - कीटनाशक वाली कोई भी सिरिंज, कंटेनर या बोतल बरामद नहीं हुई - इस संबंध में कोई जाँच क्यों नहीं की गई, इसका कोई जवाब नहीं है - ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसके आधार पर अपीलकर्ता को मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराया जा सके। [पैरा 23, 24, 25, 30, 46]

दण्ड संहिता, 1860 - धारा 306 - उकसाना - अर्थ:

अभिनिर्धारित: जहाँ अभियुक्त अपने किसी कार्य या चूक से, अथवा अपने लगातार जारी आचरण से, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है कि मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह जाता, तो वहाँ 'उकसाने' का अनुमान लगाया जा सकता है - क्रोध या आवेश में आकर बोला गया कोई ऐसा शब्द, जिसका परिणाम वास्तव में घटित होने का कोई इरादा न हो, उसे 'उकसाना' नहीं कहा जा सकता। [पैरा 34.1]

दंड संहिता, 1860 - धारा 306 - आत्महत्या करने के लिए उकसाने का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कार्य:

अभिनिर्धारित: यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि आत्महत्या के लिए उकसाने के कथित मामले में, आत्महत्या करने के लिए सीधे या परोक्ष रूप से उकसाने वाले किसी काम का सबूत होना चाहिए - सिर्फ़ उत्पीड़न के आरोप के आधार पर, जबकि आरोपी की ओर से घटना के समय के आस-पास कोई ऐसा ठोस कदम न उठाया गया हो जिसने मृतक को

आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया हो, धारा 306 के तहत दोषसिद्धि मान्य नहीं होगी - इसके लिए किसी ऐसे सक्रिय या सीधे काम की भी ज़रूरत होगी जिसने मृतक को कोई और विकल्प न देखकर आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया हो, और आरोपी के इस काम का मकसद मृतक को ऐसी स्थिति में धकेलना होना चाहिए था कि वह आत्महत्या कर ले। [पैरा 36, 39]

उद्धृत निर्णयजन्य विधि

एम. मोहन बनाम राज्य, **(2011) 3 एस.सी.आर 437 : (2011) 3 एस.सी.सी 626;** रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, **(2001) अनुपूरक 4 एस.सी.आर 247 : (2001) 9 एस.सी.सी 618;** चित्रेश कुमार चोपड़ा बनाम राज्य, **(2009) 13 एस.सी.आर 230 : (2009) 16 एस.सी.सी 605;** अमलेंदु पाल उर्फ झंटू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, **(2009) 15 एस.सी.आर 836 : (2010) 1 एस.सी.सी 707;** राजेश बनाम हरियाणा राज्य, **(2020) 15 एस.सी.सी 359** - संदर्भित।

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम ओरिलाल जायसवाल, **[1993] Suppl. 2 एस.सी.आर 461 : (1994) 1 एस.सी.सी 73;** उदे सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य, **[2019] 9 एस.सी.आर 703 : (2019) 17 एस.सी.सी 301;** महेंद्र के. सी. बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य, **[2021] 10 एस.सी.आर 582 : (2022) 2 एस.सी.सी 129** – संदर्भित।

उद्धृत पुस्तकें और पत्रिकाएँ

मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस और टॉक्सिकोलॉजी की एक पाठ्यपुस्तक – जयसिंह पी. मोदी द्वारा - संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

दण्ड संहिता, 1860

प्रमुख शब्दों की सूची

रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य; अभियोजन पक्ष के बयान में विसंगतियाँ; महत्वपूर्ण चूकें; विरोधाभासी बयान; आत्महत्या के लिए उकसाना; दुष्प्रेरण; भड़काना; उकसाने का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृत्य; घटना के समय के निकट की सकारात्मक कार्रवाई; आत्महत्या करने में उकसाना या सहायता करना; चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान के पहलू; परिस्थितिजन्य साक्ष्य; संबंधित वस्तुओं की बरामदगी न होना।

मामले की उत्पत्ति

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील सं. 1427/2011

सी.आर.एल.ए सं०. 1139/2004 में कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु के दिनांक 17.09.2010 के निर्णय और आदेश से।

डिजिटल सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

अधिवक्तागण

अपीलकर्ताओं के लिए अधिवक्तागण: राजेश महाले।

उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्तागण: मुहम्मद अली खान, ए.ए.जी., उमर हाडा, सुश्री ईशा बख्शी, उदय भाटिया, कामरान खान, अर्जुन शर्मा, डी. एल. चिदानंद, रविंदर कुमार वर्मा।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

उज्ज्वल भुइयां, जे.

विशेष अनुमति द्वारा की गई यह अपील, अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 306 के तहत दोषी ठहराए जाने पर आपत्ति उठाती है।

2. यह बताया जा सकता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट - III मैसूर ने एस.सी सं०. 26/2002 में 06.07.2004 के अपने फैसले और आदेश के ज़रिए अपीलकर्ता को आई.पी.सी की धारा 306 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और उसे तीन साल की कठोर कारावास (आर.आई) की सज़ा सुनाई, साथ ही 2,000/- रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया; जुर्माना न भरने पर उसे उक्त अपराध के लिए चार महीने की अतिरिक्त कठोर कारावास की सज़ा भुगतनी होगी। अपीलकर्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सी.आर.पी.सी) की धारा 374 के तहत कर्नाटक उच्च न्यायालय में दायर की गई अपील, जिसका क्रमांक क्रिमिनल अपील सं० 1139/2004 (एस.जे.ए) था, को 17.09.2010 के फैसले और आदेश के ज़रिए खारिज कर दिया गया; इस फैसले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सज़ा और दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया।

अभियोजन पक्ष का मामला

3. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अपीलकर्ता पहले मृतक के घर में किराएदार के तौर पर रहता था, हालाँकि घटना के दिन वह कहीं और रह रहा था क्योंकि किराए के समझौते की अवधि समाप्त हो चुकी थी। 05.07.2000 को सुबह लगभग 09:00 बजे, मृतक अपनी बहन के बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद घर लौट रही थी। जब वह केनरा बैंक के पास पहुँची, तो अपीलकर्ता वहाँ इंतज़ार कर रहा था और उसने उसे शादी करने के लिए छेड़ा। मृतक ने कोई जवाब देने से इनकार कर दिया। अपीलकर्ता ने उसे धमकी दी कि यदि वह उससे शादी करने के लिए सहमत नहीं हुई, तो वह उसकी बहनों के परिवार को बर्बाद कर देगा, उनकी इज्ज़त पर हाथ डालेगा और उन्हें मार डालेगा। घर पहुँचने के बाद, उसने टेलीफ़ोन पर अपनी बहनों को इस घटना के

बारे में बताया। इसके बाद, उसने घर में ज़हर खा लिया। पड़ोसियों ने घर की खिड़की से देखा कि मृतक फर्श पर दर्दनाक हालत में पड़ी हुई थी। उन्होंने घर का दरवाज़ा खुलवाया। ज़हर खाने के कारण मृतक दर्द से कराह रही थी। इसी बीच, उसकी एक बहन और उसका पति घर आ गए। उन सभी ने मृतक को निर्मला देवी अस्पताल पहुँचाया, जिसके बाद उसे मिशन अस्पताल में शिफ़्ट कर दिया गया। अंततः, 06.07.2000 को शाम 07:30 बजे उसकी मृत्यु हो गई।

4. मृतका के पिता राजू ने यह आरोप लगाते हुए प्रथम सूचना दर्ज कराई कि उनकी बेटी द्वारा आत्महत्या किए जाने के लिए अपीलकर्ता ही जिम्मेदार था। यह प्रथम सूचना 07.07.2000 को सुबह 06:30 बजे दर्ज की गई थी।

5. पहली जानकारी मिलने पर, पुलिस ने आई.पी.सी की धारा 306 के तहत अपराध संख्या 100/2000 दर्ज किया। जाँच के दौरान, मृतक का पोस्टमॉर्टम किया गया और उसके आंतरिक अंगों (viscera) को रासायनिक विश्लेषण के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, बैंगलोर (एफ.एस.एल) भेजा गया। रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट में पेट, छोटी आंत, लिवर, किडनी और खून में ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक की मौजूदगी पाई गई। इसलिए, जिस डॉक्टर ने पोस्टमॉर्टम किया था, उसने यह राय दी कि मृतक की मौत ऑर्गेनोफॉस्फेट यौगिक वाले पदार्थ के सेवन के कारण हुई श्वसन विफलता (respiratory failure) से हुई थी। जाँच पूरी होने पर, पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, जिसमें अपीलकर्ता को आरोपी के रूप में नामित किया गया था।

6. अपने मामले को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने तेरह गवाहों की जाँच की और ग्यारह दस्तावेज़ों को प्रदर्श के रूप में अंकित करवाया। अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के बाद, अपीलकर्ता की जाँच धारा 313 सी.आर.पी.सी के तहत की गई।

7. रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की जांच करने और दोनों पक्षों को सुनने के बाद, ट्रायल कोर्ट ने यह माना कि अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप को, जिसमें यह कहा गया था कि उसने मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाया था, बिना किसी उचित संदेह के साबित कर दिया है। तदनुसार, अपीलकर्ता को उक्त अपराध के लिए दोषी ठहराया गया, जिसके बाद उसे तीन साल के कठोर कारावास (आर.आई) और 2,000 रुपये का जुर्माना भरने की सज़ा सुनाई गई, जिसमें जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सज़ा का प्रावधान भी शामिल था।

8. जैसा कि ऊपर पहले ही बताया जा चुका है, अपीलकर्ता ने उपर्युक्त दोषसिद्धि और सज़ा के विरुद्ध कर्नाटक उच्च न्यायालय (जिसे आगे संक्षेप में 'उच्च न्यायालय' कहा जाएगा) के समक्ष अपील दायर की थी। विवादित निर्णय और आदेश के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने यह माना कि दोषसिद्धि के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं था। तदनुसार, अपील को किसी भी प्रकार के गुण-दोष से रहित पाते हुए खारिज कर दिया गया।

9. इससे व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने अपील के लिए विशेष अनुमति याचिका दायर करके इस न्यायालय का रुख किया। जहाँ 13.12.2010 को अपीलकर्ता की आत्मसमर्पण से छूट की प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई, वहीं 28.02.2011 को नोटिस जारी किया गया। तत्पश्चात्, इस न्यायालय ने दिनांक 18.04.2011 को एक आदेश पारित किया, जिसमें अपीलकर्ता को विचारण न्यायालय की संतुष्टि के अधीन ज़मानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया।

प्रविष्टियों

10. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह निवेदन है कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय, दोनों ही रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों का उचित परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करने में विफल रहे हैं। आई.पी.सी की धारा 306 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों द्वारा समर्थित नहीं है। अतः, ऐसी दोषसिद्धि और उसके परिणामस्वरूप दी गई सज़ा को कायम नहीं रखा जा सकता।

10.1. अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में कई अहम विरोधाभास हैं। अपीलकर्ता के वकील के अनुसार, अगर अभियोजन पक्ष की बात मान भी ली जाए, तब भी अपीलकर्ता के खिलाफ मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई मामला नहीं बनता है। ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चले कि अपीलकर्ता ने उकसाने, साज़िश रचने या मदद करने जैसा कोई ऐसा काम किया हो, जिसने मृतक को आत्महत्या करने पर मजबूर किया हो।

10.2. जहाँ तक पी.डब्लू नंबर 1, 2, 3, 4 और 12 की गवाही का सवाल है, उनके सबूतों में बहुत ज़्यादा असंगति और विरोधाभास हैं। इसके अलावा, चूँकि ये गवाह मृतक के रिश्तेदार थे, इसलिए ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ही उनकी गवाही पर बहुत सावधानी से विचार करना चाहिए था। पी.डब्लू-1 मृतक का पिता है, जबकि पी.डब्लू नंबर 2 और 4 मृतक की बहनें हैं। दूसरी ओर, पी.डब्लू नंबर 12 मृतक का भाई है। उनके सबूतों में बहुत ज़्यादा असंगति है। वह यह दलील देते हैं कि रिकॉर्ड पर यह बात आई है कि पी.डब्लू-1, यानी मृतक का पिता, मृतक से अलग, शादी के बाहर किसी दूसरी महिला के साथ रह रहा था। दूसरी ओर, पी.डब्लू-2, यानी मृतक की बहन ने अपनी गवाही में कहा कि पड़ोसियों ने ही उसे बताया था कि मृतक ने ज़हर खा लिया है और पड़ोसी ही मृतक को निर्मला नर्सिंग होम ले गए थे। उसने पुलिस के सामने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत कभी यह नहीं कहा था कि अपीलकर्ता मृतक को परेशान करता था। इसलिए, यह साफ़ था कि जब उसने अपनी गवाही में यह कहा कि अपीलकर्ता मृतक को तंग करता था, तो उसने अपने बयान में सुधार किया था।

10.3. विद्वान वकील ने यह भी कहा है कि मृतक के शरीर पर चोट के निशान थे। दाहिनी कलाई के सामने के हिस्से पर 5 सेंटीमीटर लंबी, ऊपरी तौर पर कटी हुई चोट का निशान था, जो आंशिक रूप से भर चुका था। अभियोजन पक्ष इस चोट के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाया। इसके अलावा, चोट का होना और उसका आंशिक रूप से भर जाना इस बात का संकेत था कि उक्त चोट घटना की तारीख से कुछ समय पहले लगी थी। यह बात मृतक की आत्महत्या की प्रवृत्ति को भी दर्शाती है।

10.4. आगे यह भी कहा गया है कि यद्यपि मृतक को 05.07.2000 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, फिर भी पहली सूचना दर्ज कराने में देरी हुई। प्राथमिकी 07.07.2000 को सुबह 06:30 बजे ही दर्ज की गई, जबकि मृतक की मृत्यु पिछली शाम 07:30 बजे ही हो चुकी थी। यह तथ्य, साथ ही मृतक द्वारा अपीलकर्ता द्वारा कथित उत्पीड़न के बारे में किसी को भी न बताना, अभियोजन पक्ष के मामले की सत्यता के बारे में भारी संदेह पैदा करता है। इसके अलावा, अपीलकर्ता की शादी घटना से लगभग दो महीने पहले ही हुई थी। इसलिए, अपीलकर्ता के पास मृतक को शादी करने के लिए धमकाने का कोई कारण नहीं था, यह कहते हुए कि यदि वह ऐसा नहीं करती है, तो उसे और उसके परिवार के सदस्यों को गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा।

10.5. अपनी दलीलों के समर्थन में, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के निम्नलिखित दो निर्णयों पर भरोसा किया है:

I. **उदे सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य**, (2019) 17 एसएससी 301

II. **महेंद्र के.सी. बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य**, (2022) 2 एसएससी 129

11. इसके विपरीत, उत्तरदाता के विद्वान वकील का कहना है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता के अपराध की ओर इशारा करते हैं। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा कि यह अपीलकर्ता ही था जिसने मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाया था। अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप अभियोजन पक्ष द्वारा हर उचित संदेह से परे साबित कर दिया गया था, और इसलिए ट्रायल कोर्ट अपीलकर्ता को IPC की धारा 306 के तहत दोषी ठहराने और ऊपर बताई गई सज़ा देने में पूरी तरह से सही था।

11.1. उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट द्वारा अपीलकर्ता को दी गई सज़ा को सही ठहराया।

11.2. सबूतों के संबंध में ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने का आधार, मृतक के परिवार के सदस्यों की गवाही नहीं हो सकती। अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों को समग्र रूप से पढ़ने पर–विशेष रूप से गवाह संख्या 1, 2 और 4 के बयानों को–अभियोजन पक्ष का मामला स्पष्ट रूप से स्थापित हो जाता है; जिसे डॉक्टर (गवाह संख्या 13) की गवाही से और भी अधिक बल मिला है। अतः, उनका यह निवेदन है कि इस अपील में कोई दम नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

12. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर न्यायालय द्वारा समुचित विचार किया गया है।

साक्ष्य

13. सबसे पहले रिकॉर्ड पर उपलब्ध सबूतों को देखते हैं।

14. पी.डब्लू-1 राजू इस मामले में सबसे पहले जानकारी देने वाला (प्रथम सूचनादाता) और मृतक का पिता है। अपनी गवाही में उसने बताया कि उसकी मृतक बेटी X, मैसूर के महाराजा कॉलेज में बी.कॉम के अंतिम वर्ष की छात्रा थी। आरोपी (अपीलकर्ता) मैसूर के विनायकनगर स्थित उसके घर के ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। वह वहाँ पाँच साल तक किराएदार के तौर पर रहा था और किराएदारी की अवधि पूरी होने के बाद उसने घर खाली कर दिया था।

14.1. मृतक अपनी दूसरी बेटी मीना के दो बच्चों को रोज़ाना सुबह लगभग 9:00 बजे जयलक्ष्मीपुरम स्थित चिन्मय स्कूल छोड़ने जाया करता था। उस दौरान, आरोपी उससे मिलता था और अक्सर उससे शादी करने के लिए कहता था। असल में, उसने अपनी मृत बेटी को धमकी दी थी कि अगर उसने उससे शादी करने से मना किया, तो वह उसकी और उसकी बहनों की हत्या कर देगा। मृतका ने उसे इन बातों के बारे में बताया था। 06.07.2000 (पी.डब्लू-1 की आगे की जाँच के दौरान इसे सुधारकर 05.07.2000 किया गया) को, आरोपी ने सुबह लगभग 09.30 बजे जयलक्ष्मीपुरम में केनरा बैंक के पास मृतका को धमकी दी थी कि अगर उसने उससे शादी करने से मना किया, तो वह उस पर और उसकी बहनों पर तेज़ाब डाल देगा और उनकी हत्या कर देगा। उसके अनुसार, उस दिन जब वह सुबह 10:00 बजे घर आया, तो उसकी बेटी X को ज़हर खाने के कारण किरण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसने बताया कि मृतका को आगे के इलाज के लिए मैसूर के मिशन अस्पताल में शिफ़्ट कर दिया गया था। 06.07.2000 को शाम लगभग 7:00 बजे उसकी बेटी X की मृत्यु हो गई। मृतका ने आरोपी द्वारा किए गए असहनीय उत्पीड़न और क्रूरता के कारण ज़हर खा लिया था। मृतका ने अपनी मृत्यु से एक हफ़्ता

पहले उसे आरोपी द्वारा अपने साथ किए गए क्रूर व्यवहार और उत्पीड़न के बारे में बताया था। उसने घर में रहते हुए ही ज़हर खाया था। मृतका के जीवन में आरोपी के उत्पीड़न और क्रूरता के अलावा कोई और निराशा नहीं थी।

14.2. अपनी जिरह में पी.डब्लू-1 ने बताया कि अपनी बेटी X की मौत के समय, वह मैसूर के विनायकनगर स्थित घर में रह रहा था। उसकी मृत बेटी ने उसे अपनी मौत से एक हफ़्ता पहले आरोपी द्वारा की जा रही प्रताड़ना के बारे में बताया था। हालाँकि, उसने इस बारे में आरोपी से कोई बात नहीं की; न ही उसने किसी और व्यक्ति को इस बारे में बताया और न ही पुलिस में कोई शिकायत दर्ज कराई। घटना वाले दिन वह सुबह 7:00 बजे घर से निकला था। जब वह सुबह 10:00 बजे घर लौटा, तो उसकी बेटी X को किरण अस्पताल ले जाया जा चुका था। जब वह मिशन अस्पताल में थी, तो वह उस अस्पताल में गया था। उसकी बेटी X का इलाज उस अस्पताल में चल रहा था और वह चलने-फिरने की हालत में नहीं थी। वह दोपहर लगभग 1:00 बजे मिशन अस्पताल गया और अपनी बेटी की मौत होने तक वहीं अस्पताल में रहा। उसकी मौत वाले दिन, दोपहर लगभग 3:00 से 4:00 बजे के बीच पुलिस अस्पताल आई थी, जब पी.डब्लू-1 और उसकी दूसरी बेटियाँ वहाँ मौजूद थीं। पुलिस ने उसकी बेटी X से पूछताछ करने और बात करने की कोशिश की, लेकिन वह बात करने की हालत में नहीं थी। अपनी मौत होने तक उसने कोई बात नहीं की। उसकी मौत 06.07.2000 को शाम लगभग 07:30 बजे हुई। पुलिस अस्पताल में लगभग दो से तीन बार आई थी। उसने बताया कि 07.07.2000 को उसने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे जयरामा ने लिखा था; जयरामा उसकी मौत होने तक अस्पताल में मौजूद था।

14.3. जिरह के दौरान उन्होंने आगे कहा कि आरोपी एक चिट फंड चला रहा था, जिसका वह खुद भी सदस्य था। उनकी बेटी X शादी की उम्र की थी। उन्होंने बचाव पक्ष की इस बात से इनकार किया कि वह अपनी मृत बेटी की शादी आरोपी से करना चाहते थे, लेकिन आरोपी ने मना कर दिया था। अपनी बेटी X की मौत के बाद उन्हें पता चला कि आरोपी शादीशुदा था। हालाँकि, उन्होंने कहा कि उन्हें यह नहीं पता था कि अपना घर छोड़ने के बाद आरोपी कहाँ रहता था।

15. मृतक मीना की बहन पी.डब्लू-2 है। अपने बयान में उसने कहा कि वह, उसके दो बच्चे और उसकी मृतक बहन, सभी पडुवरहल्ली (विनायकनगर) में एक साथ रहते थे। उसके दोनों बच्चे जयलक्ष्मीपुरम के चिन्मय विद्यालय में पढ़ते थे। दोनों बच्चे

तीसरी और पाँचवीं कक्षा में पढ़ते थे। मृतक रोज़ बच्चों को स्कूल ले जाती थी और उन्हें स्कूल से वापस भी लाती थी। वह सुबह लगभग 9:00 बजे बच्चों को ले जाती थी और उन्हें स्कूल से घर वापस भी लाती थी।

15.1. उसने स्वीकार किया कि वह आरोपी को जानती थी। अपनी मृत्यु से पंद्रह दिन पहले, मृतक ने पी.डब्लू-2 को बताया था कि आरोपी उसे परेशान कर रहा था और उससे शादी करने के लिए कह रहा था। जब उसने यह कहते हुए प्रस्ताव ठुकरा दिया कि वह एक शादीशुदा आदमी है, तो आरोपी ने उसे और उसकी बहन को जान से मारने की धमकी दी। इन पंद्रह दिनों के दौरान, मृतक ने किसी से बात नहीं की और वह उदास और गुमसुम रहती थी।

15.2. उन्होंने अपनी गवाही में आगे कहा कि घटना वाले दिन, यानी 05.07.2000 को, वह सुबह 07:45 बजे ऑफिस के लिए निकली थीं। ऑफिस जाते समय, उन्होंने अपनी बहन X से कहा था कि वह उनके बच्चों को स्कूल ले जाए। उनके अनुसार, उन्हें अपने पड़ोसी से एक फ़ोन संदेश मिला कि उनकी बहन X की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें तुरंत घर आने के लिए कहा गया। उनके अनुसार, वह दोपहर लगभग 12:30 बजे घर पहुँचीं। जब वह घर पहुँचीं, तो पड़ोसियों ने उन्हें बताया कि उनकी बहन X ने ज़हर खा लिया है और इसलिए उन्हें निर्मला (करुणा) नर्सिंग होम ले जाया गया है। पड़ोसियों के साथ वह मिशन हॉस्पिटल गईं। वहाँ उन्होंने अपनी बहन X को बेहोशी की हालत में पाया। अगले दिन शाम लगभग 7:30 बजे उनकी बहन X की मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि चूँकि आरोपी ने उनकी बहन X को धमकी दी थी कि अगर वह उससे शादी करने के लिए राज़ी नहीं हुई, तो वह उसे मार डालेगा, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। उन्होंने आगे कहा कि उनके पिता भी हॉस्पिटल आए थे। उनकी मृत्यु से पंद्रह दिन पहले, यानी आरोपी द्वारा उनकी बहन को परेशान करना शुरू करने से पहले, वह खुश और स्वस्थ थीं।

15.3. अपनी जिरह में पी.डब्लू-2 ने बताया कि वह घर उसकी माँ का था। उसके पिता पी.डब्लू-1 और उसकी माँ उसी घर में रहते थे। आरोपी पाँच साल तक उनके घर के ग्राउंड फ्लोर पर रहता था और गिरवी रखने की अवधि (sic) खत्म होने के दो-तीन महीने बाद, घटना से पहले ही उसने वह घर खाली कर दिया था। घर खाली करने के बाद, आरोपी पड्डवरहल्ली (विनायकनगर) में IV क्रॉस पर एक घर में रहने लगा था। वह एक सीमेंट डीलर की दुकान में काम करता था। घर खाली करने के बाद, वह दोबारा उस घर में नहीं आया और पी.डब्लू-2 ने उसे नहीं देखा था।

15.4. घटना के समय, उसकी मृत बहन X की उम्र लगभग 21 या 22 साल थी। उसने बताया कि उसने और परिवार के अन्य सदस्यों ने मृतका की शादी करवाने की कोई कोशिश नहीं की थी। उसके पिता (पी.डब्लू-1) उनके साथ नहीं रहते थे, क्योंकि वे शादी के बाहर किसी दूसरी महिला के साथ अलग से रह रहे थे। उसने बताया कि अपने पति की मृत्यु के बाद, वह अपनी माँ के उस घर में रहने लगी थी। घटना वाले दिन, उसकी माँ की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी।

15.5. पी.डब्लू-2 ने कहा कि उसने किसी अन्य व्यक्ति को यह बात नहीं बताई थी कि आरोपी ने उसकी मृत बहन के साथ बुरा बर्ताव और उत्पीड़न किया था। उसने पुलिस के सामने भी यह बात नहीं कही थी कि उसकी मृत बहन X ने अपनी मृत्यु से पंद्रह दिन पहले उसे आरोपी द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न और अपने उदास रहने के बारे में बताया था।

15.6. उसने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इनकार कर दिया कि घटना के दिन वह अपने बच्चों को स्कूल ले गई थी, और जब वह सुबह 10:30 बजे घर लौटी, तो उसने अपनी मृत बहन X को बेहोशी की हालत में पाया।

15.7. पी.डब्लू-2 ने आगे कहा कि उन्होंने घर में कोई भी ज़हरीली दवा नहीं रखी थी। उन्हें मृतक के बिस्तर के पास ज़हर वाली कोई बोतल नहीं मिली। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने अपनी दूसरी बहन शांता और उसके पति दिवाकर के साथ मिलकर अपनी बहन X को करुणा नर्सिंग होम ले जाया था।

15.8. पी.डब्लू-2 ने बताया कि उसने 06.07.2000 को शाम 5:00 बजे मिशन अस्पताल में अपने पिता को देखा था। उसने अपने पिता को अपनी बहन से जुड़ी घटना के बारे में न तो कुछ बताया था और न ही सूचित किया था। जब तक X का शव वहाँ से ले जाया नहीं गया, तब तक उसके पिता अस्पताल में ही थे।

15.9. पी.डब्लू-2 ने कहा कि यह सच है कि आरोपी शादीशुदा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसने घटना से दो महीने पहले ही शादी कर ली थी। घर के आस-पास रिहायशी मकान हैं। पड़ोसियों के साथ उनके संबंध अच्छे थे। जब आरोपी उस घर में रहता था, तब वह एक चिट फंड चलाता था। पी.डब्लू-2 भी उस चिट फंड की सदस्य थी। उसने इस बात से इनकार किया कि जब आरोपी उनके घर में रहता था, तब उन्होंने मृतक की शादी आरोपी से करवाने की कोशिश की थी, और यह भी कि आरोपी ने उसकी (पी.डब्लू-2 की) मृतक बहन से शादी करने से मना कर दिया था, जिस वजह से उसने घर छोड़ दिया था। उसने इस बात से भी इनकार किया कि उन्हें आरोपी को चिट फंड की

कोई रकम चुकानी थी। उसने आगे इस बात से भी इनकार किया कि मृतक ने किसी और वजह से आत्महत्या की हो सकती है, और यह कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है क्योंकि उसने मृतक से शादी करने से मना कर दिया था।

16. दिवाकर, मृतक की दूसरी बहन शांता का पति है। दिवाकर पी.डब्लू-3 है। अपनी मुख्य गवाही में, उसने बताया कि अपनी मृत्यु के समय, मृतक विनायकनगर में पी.डब्लू-2 के साथ रह रही थी। पी.डब्लू-2 भी उसकी पत्नी शांता की बहन थी।

16.1. 05.07.2000 को सुबह लगभग 09:30 बजे, मृतक X ने अपनी पत्नी शांता को फ़ोन किया और उसे बताया कि उसने ज़हर खा लिया है। उस समय, वह अपनी पत्नी शांता के पास ही मौजूद था। पी.डब्लू-3 के अनुसार, वह और उसकी पत्नी शांता तुरंत पडुवरहल्ली स्थित मृतक के घर पहुँचे। मृतक ने अपनी पत्नी शांता से बात की। वे मृतक X को निर्मला अस्पताल ले गए और वहाँ से मिशन अस्पताल ले गए। 06.07.2000 को, रात के समय अस्पताल में मृतक की मृत्यु हो गई।

16.2. उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी शांता ने उन्हें बताया था कि मृतक की आत्महत्या के लिए आरोपी ही ज़िम्मेदार था।

16.3. अपनी जिरह में पी.डब्लू-3 ने कहा कि X की मौत से पहले, उसकी पत्नी शांता ने उसे बताया था कि X के ज़हर खाने के लिए आरोपी ज़िम्मेदार है। जब वे X के घर गए थे और उसे अस्पताल ले जा रहे थे, तब X ने अपनी पत्नी शांता से कहा था कि आरोपी की प्रताड़ना के कारण उसने ज़हर खा लिया है। इससे पहले उसे इस बात की जानकारी नहीं थी। उसने आरोपी को तब देखा था, जब वह घर के एक हिस्से में किराएदार के तौर पर रहता था। आरोपी ने घटना से दो साल पहले ही घर खाली कर दिया था, जिसके बाद न तो उसने आरोपी को देखा और न ही उसे उसके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी थी।

16.4. पी.डब्लू-3 ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इनकार किया कि उसने पुलिस के सामने यह बयान दिया था कि जब वे मृतक X के घर पहुँचे थे, तब वह बेहोशी की हालत में थी, और उसकी पत्नी ने उसे यह नहीं बताया था कि मृतक द्वारा ज़हर खाने का कारण आरोपी था। हालाँकि, उसने यह कहा कि उसने यह नहीं सुना कि मृतक X ने उसकी पत्नी शांता से क्या कहा था।

17. शांता ने खुद पी.डब्लू-4 के तौर पर गवाही दी। उसने बताया कि 05.07.2000 को सुबह करीब 11:00 से 11:15 बजे के बीच, मृतक ने उसे फ़ोन किया और बताया कि जब वह बच्चों को स्कूल छोड़कर घर लौट रही थी, तो रास्ते में आरोपी ने उसे रोक लिया। उसने उसे धमकी दी कि वह उससे शादी कर ले, और अगर उसने मना किया, तो वह उस पर तेज़ाब डालकर उसे मार डालेगा। इसी वजह से, इस मामले को खत्म करने के लिए उसने अपनी जान देने के मकसद से ज़हर खा लिया। तुरंत ही पी.डब्लू-4 और उसका पति पी.डब्लू-3 मृतक के घर पहुँचे।

17.1. पी.डब्लू-4 ने बताया कि जब वे मृतक X के घर पहुँचे, तो वह ज़मीन पर पड़ी थी और फ़ोन का रिसीवर लटका हुआ था। जब पी.डब्लू-4 ने X से पूछताछ की, तो उसने फिर से ऊपर बताए गए तथ्य और ज़हर खाने का कारण बताया। पी.डब्लू-4 ने बताया कि उसने, पी.डब्लू-3 और पड़ोसियों के साथ मिलकर X को किरण नर्सिंग होम पहुँचाया और वहाँ से मिशन हॉस्पिटल, मैसूर ले गए। 06.07.2000 को शाम लगभग 7:30 बजे, मिशन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान X की मृत्यु हो गई।

17.2. अपनी जिरह के दौरान, पी.डब्लू-4 ने बताया कि उसने अपने पड़ोसी को बताया था कि X ने उसे बताया था कि उसने आरोपी द्वारा किए गए दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के कारण ज़हर खा लिया है। उसके पड़ोसी उसके साथ मृतक के घर नहीं आए थे। जब वह X के घर पहुँची, तो वहाँ लोग जमा हो चुके थे। पी.डब्लू-4 के अनुसार, वह उन पड़ोसियों को जानती थी। जब उसने X से बात की, तो वे पड़ोसी वहाँ मौजूद थे।

18. पी.डब्लू-11 एम.एस. सत्यनारायण हैं, जो इस मामले के जाँच अधिकारी थे। अपनी गवाही में उन्होंने बताया कि वे घटनास्थल पर गए थे। उन्होंने मृतक के विसरा को रासायनिक जाँच के लिए भेजा था। उन्होंने 17.11.2000 को आरोपी के ख़िलाफ़ आरोप-पत्र (चार्जशीट) पेश किया था। उन्होंने बताया कि FSL रिपोर्ट मिलने के बाद, उन्होंने उसे संबंधित डॉक्टर के पास भेजा था–जिसने मृतक का पोस्टमार्टम किया था–ताकि वे मृतक की मृत्यु के कारण के बारे में अपनी राय दे सकें। उन्होंने इस संबंध में डॉक्टर की अंतिम राय प्राप्त कर ली थी।

18.1. अपनी जिरह के दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने उस घर के मालिक की जाँच नहीं की थी, जहाँ आरोपी रहता था। उन्होंने उस घर के पड़ोसियों की भी जाँच नहीं की थी। एक सीधे सवाल के जवाब में, पी.डब्लू-11 ने कहा कि उनकी जाँच से पता चला कि आरोपी अक्सर सार्वजनिक सड़क पर मृतक को धमकाता था। मृतक X की मृत्यु से पंद्रह दिन पहले भी उसने यही हरकत की थी। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने उस इलाके के गवाहों की जाँच नहीं की थी।

19. आर. विजया कुमार, मृतक X के बड़े भाई हैं। वे पी.डब्लू-12 हैं। उन्होंने बताया कि उनकी बहन X ने घर में ज़हर खा लिया था और इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी। 05.07.2000 को दोपहर लगभग 01:30 बजे उन्हें फ़ोन पर यह संदेश मिला कि उनकी बहन X ने ज़हर खा लिया है। वे शाम लगभग 7:30 बजे मैसूर पहुँचे और अपनी बहन X से मिलने मिशन अस्पताल गए, जहाँ उनका इलाज चल रहा था। उन्होंने पाया कि उनकी बहन बात करने की हालत में नहीं थीं।

19.1. उसने बताया कि उसे अपनी दूसरी बहन पी.डब्लू-2 मीना से पता चला कि आरोपी ने उसकी बहन 'X' को शादी के प्रस्ताव को लेकर परेशान किया था, जिसके कारण उसने ज़हर खा लिया था।

19.2. उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने पुलिस को यह नहीं बताया था कि पी.डब्लू-2 ने उन्हें बताया था कि आरोपी ने उनकी बहन को धमकी दी थी। उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि उनकी बहन X ने ज़हर कैसे खाया और कितनी मात्रा में खाया। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि X की आत्महत्या के लिए आरोपी ज़िम्मेदार नहीं था, और यह भी कि आरोपी के साथ उनकी दुश्मनी की वजह से ही उन्होंने आरोपी के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई थी।

20. डॉ. देवदास पी.के. (पी.डब्लू-13) वह डॉक्टर थे जिन्होंने 07.07.2000 को मृतक का पोस्टमार्टम किया था। उन्होंने बताया कि शव की जाँच करने पर उन्हें दोनों कोहनियों के सामने कई इंजेक्शन के निशान मिले। दाईं कलाई के सामने 5 सेमी लंबी एक हल्की, सीधी कटी हुई चोट का निशान था, जो आंशिक रूप से भर चुका था। उन्होंने आगे बताया कि पेट, छोटी आंत और उसके अंदर की सामग्री, लिवर, किडनी और खून को सुरक्षित रखकर सील कर दिया गया था, और उसके बाद उन्हें रासायनिक जाँच के लिए भेज दिया गया। 09.01.2001 को, उन्हें 10.10.2000 की तारीख वाली रासायनिक जाँच रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट में शरीर के अंदरूनी अंगों (viscera) में ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड की मौजूदगी पाई गई। मृत्यु का कारण ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड वाला पदार्थ खाने से हुई सांस की विफलता (respiratory failure) था।

20.1. अपनी जिरह के दौरान पी.डब्लू-13 ने बताया कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड एक कीटनाशक है, हालाँकि, मृतक के रक्त और आंतरिक अंगों में ज़हर की मात्रा का ज़िक्र फोरेंसिक साइन्स लैब रिपोर्ट में नहीं किया गया था। चोट के इलाज के दौरान ऑर्गेनोफॉस्फोरस की मात्रा का पता लगाया जा सकता था। जब तक ज़हर का असर दिमाग पर नहीं होता, तब तक दिमाग होश में रहता है। पी.डब्लू-13 यह नहीं बता सके कि मृतक ने किस समय ज़हर खाया था।

21. पी.डब्लू-1 ने पहली जानकारी में बताया था कि उनकी बड़ी बेटी के घर पहुँचने से पहले ही, मृतक X बेहोश हो चुकी थी। पड़ोसियों - कुमारी हेमा, महेश और सरोजम्मा ने, श्रीमती हिरेमानी समेत अन्य पड़ोसियों के साथ मिलकर, खिड़की से देखा था कि फ़ोन लगातार बज रहा था और उनकी बेटी बेहोश हो गई थी। उन्होंने दरवाज़ा खुलवाया और जब उन्होंने X से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब था कि इसके लिए आरोपी ज़िम्मेदार है और उसके उत्पीड़न के कारण ही उसने ज़हर खाया है। उसके बाद वह गिर पड़ी। इसके बाद ही उसकी बहन और जीजा आए और उसे निर्मला देवी अस्पताल ले गए, और उसके बाद मिशन अस्पताल ले गए।

22. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की तारीख 07.07.2000 है। शव की बाहरी जाँच से पता चला कि दोनों कोहनियों के आगे के हिस्से पर इंजेक्शन के कई निशान मौजूद थे। दाहिनी कलाई के आगे के हिस्से पर 5cm लंबी, ऊपरी तौर पर कटी हुई चोट दिखाई दी, जो आंशिक रूप से ठीक हो चुकी थी। पेट, छोटी आंत और उसके अंदर की सामग्री, लिवर, किडनी और खून को केमिकल जाँच के लिए भेजने हेतु सुरक्षित रख लिया गया। तदनुसार, खून और अंदरूनी अंगों को सील करके 07.07.2000 को केमिकल जाँच के लिए फोरेंसिक साइन्स लैब, बैंगलोर भेज दिया गया। केमिकल जाँच रिपोर्ट मिलने तक अंतिम राय सुरक्षित रखी गई। 10.10.2000 की तारीख वाली केमिकल जाँच रिपोर्ट 09.01.2001 को प्राप्त हुई। रिपोर्ट के अनुसार, कलर टेस्ट थिन लेयर क्रोमटोग्राफी (TLC) विधि से पेट, छोटी आंत, लिवर, किडनी और खून में ऑर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशक की मौजूदगी की पुष्टि हुई। इसके बाद डॉक्टर ने अपनी अंतिम राय देते हुए कहा कि मृत्यु ऑर्गेनोफॉस्फोरस यौगिक वाले पदार्थ के सेवन के परिणामस्वरूप सांस लेने में विफलता के कारण हुई थी।

23. जैसा कि ऊपर बताया गया है, रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत न केवल अभियोजन पक्ष की कहानी में साफ़-साफ़ विरोधाभास दिखाते हैं, बल्कि उसमें बड़ी कमियाँ भी उजागर करते हैं। इसके अलावा, इसमें कुछ ज़रूरी बातें भी छोड़ दी गई हैं। पी.डब्लू-1 मृतक का पिता और पहला सूचना देने वाला है। उसके अनुसार, वह मृतक के साथ उसी घर में रहता था। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, वह सुबह 7:00 बजे घर से बाहर गया था और सुबह 10:00 बजे घर वापस आया। जब वह सुबह 10:00 बजे घर वापस आया, तो उसने पाया कि उसकी बेटी X को ज़हर खाने के कारण एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद मृतक को आगे के इलाज के लिए मैसूर के मिशन अस्पताल में शिफ़्ट कर दिया गया। दूसरी ओर, पी.डब्लू-2 मीना, जो मृतक की बहन और पी.डब्लू-1 की बेटी भी है, ने गवाही दी कि वह घर उसकी माँ का था, जिसकी घटना की तारीख तक पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। पिता, पी.डब्लू-1, शादी के बाहर किसी दूसरी महिला के साथ अलग रहता था। उसके अनुसार, अपने पति की मृत्यु के बाद, वह अपने दो बच्चों और अपनी मृतक बहन के साथ पडुवरहल्ली (विनायकनगर)

डिजिटल सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

के उस घर में एक साथ रह रही थी। अपनी जिरह में उसने यह बात बिल्कुल साफ़-साफ़ कही कि उसके पिता पी.डब्लू-1 उनके साथ नहीं रह रहे थे, क्योंकि वह शादी के बाहर किसी दूसरी महिला के साथ अलग से रह रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि अपनी जिरह (cross-examination) में उसने बताया कि उसने अपने पिता को 06.07.2000 को शाम 05:00 बजे मिशन अस्पताल में देखा था, यानी मृतक के अस्पताल में भर्ती होने के दूसरे दिन।

24. अगर पी.डब्लू-2 की बात पर यकीन किया जाए, तो पी.डब्लू-1, जो कि पहला सूचना देने वाला है, के सबूतों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। उसका यह बयान कि वह अपनी मृत बेटी X के साथ उसी घर में रहता था, उसकी अपनी बेटी पी.डब्लू-2 ने ही गलत साबित कर दिया; पी.डब्लू-2 ने कहा कि उसके पति की मौत के बाद, वह और उसके दो बच्चे ही अपनी माँ के घर में अपनी मृत बहन X के साथ रहते थे। उसके अनुसार, उसने पी.डब्लू-1 को 06.07.2000 को शाम 05:00 बजे मिशन अस्पताल में देखा था। यह बात अपने आप में ही अजीब है और उस पिता का बिल्कुल भी सामान्य व्यवहार नहीं है, जिसकी बेटी ने ज़हर खा लिया हो और जो अस्पताल में अपनी ज़िंदगी के लिए संघर्ष कर रही हो। अगर पी.डब्लू-2 की बात मान ली जाए, तो पी.डब्लू-1 अपनी बेटी को अस्पताल में देखने के लिए घटना के अगले दिन शाम को ही गया था, यानी उसकी मौत से कुछ घंटे पहले। यह भी बता दिया जाए कि मृतका की मौत 06.07.2000 को शाम 07:30 बजे हुई थी।

25. पी.डब्लू-1 और पी.डब्लू-2, दोनों ने यह दावा किया कि मृतक ने घटना से पंद्रह दिन पहले उन्हें बताया था कि अपीलकर्ता द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। हालाँकि, उन दोनों में से किसी ने भी न तो अपीलकर्ता का सामना किया और न ही पुलिस में कोई शिकायत दर्ज कराई।

26. पी.डब्लू-4 शांता, जो मृतक X की एक और बहन और पी.डब्लू-1 की बेटी है, की गवाही के अनुसार, मृतक ने 05.07.2000 को सुबह 11:00 से 11:15 बजे के बीच उसे फ़ोन किया था। उसने फ़ोन पर बताया कि स्कूल से घर लौटते समय उसके साथ क्या हुआ था, जिसके चलते उसने अपनी जान लेने के लिए ज़हर खा लिया। यह जानने के बाद ही पी.डब्लू-4 और उसके पति पी.डब्लू-3, मृतक के घर की ओर भागे। जब वे मृतक के घर पहुँचे, तो वह ज़मीन पर पड़ी हुई थी और फ़ोन का रिसीवर लटका हुआ था। उसने और उसके पति ने पड़ोसियों की मदद से मृतक को नर्सिंग होम पहुँचाया, और वहाँ से फिर मिशन हॉस्पिटल ले गए।

27. अगर पी.डब्लू-4 की बात मान ली जाए, तो मृतक X ने 05.07.2000 को सुबह करीब 11:00 से 11:15 बजे के बीच उसे फ़ोन किया था। इसके बाद वह और उसका पति घर पहुँचे, जहाँ से पड़ोसियों की मदद से मृतक को एक नर्सिंग होम ले जाया गया और वहाँ से मिशन हॉस्पिटल। दूसरे शब्दों में, पी.डब्लू-4 के अनुसार, मृतक X को नर्सिंग होम 11:00 से 11:15 सुबह के बाद ही ले जाया गया था। यह बात फिर से पी.डब्लू-1 के बयान के उलट है, जिसमें उसने कहा था कि जब वह सुबह को 10:00 बजे घर लौटा, तो उसकी बेटी X को पहले ही नर्सिंग होम ले जाया जा चुका था।

28. मृतक के किसी भी करीबी रिश्तेदार–यानी पी.डब्लू-1, पी.डब्लू-2, पी.डब्लू-4 और पी.डब्लू-12 (मृतक के बड़े भाई)–ने अपीलकर्ता से यह सवाल नहीं किया कि वह शादी के प्रस्ताव को लेकर मृतक को क्यों परेशान कर रहा था, और मना करने पर उसे गंभीर परिणामों की धमकी क्यों दे रहा था। हालाँकि उन्होंने कहा कि उन्हें घटना की तारीख से पंद्रह दिन पहले ही इस तरह की परेशानी के बारे में पता चल गया था, फिर भी उनमें से किसी ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराना उचित नहीं समझा। इससे अभियोजन पक्ष के बयान पर गंभीर संदेह पैदा होता है।

29. हालाँकि, प्राथमिकी दर्ज करने में हुई देरी अपने आप में अभियोजन पक्ष के मामले पर अविश्वास करने का आधार नहीं हो सकती, लेकिन बिना किसी स्पष्टीकरण के हुई देरी, आस-पास के हालात के साथ मिलकर, निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष की कहानी को कमज़ोर कर सकती है। यहाँ एक व्यक्ति (पी.डब्लू-1) है जो ज़ाहिर तौर पर अपनी बेटी को, जो ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी, देखने के लिए अस्पताल में भर्ती होने के चौबीस घंटे बाद जाता है–और वह भी उसकी मौत से बस कुछ ही घंटे पहले। कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि एक पिता के लिए ऐसा व्यवहार बहुत ही असामान्य है। इसके अलावा, यह भी साफ़ है कि जब उसने कहा कि वह उसी घर में रहता था जहाँ मृतक रहती थी, और जब वह उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन सुबह 10:00 बजे घर लौटा, तो पड़ोसी मृतक को पहले ही नर्सिंग होम ले जा चुके थे–तो वह सच नहीं बोल रहा था। पी.डब्लू-2 और पी.डब्लू-4 की गवाही पी.डब्लू-1 के इस बयान को झूठा साबित करती है। उसकी बेटी की मौत 06.07.2000 को शाम 07:30 बजे हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अपने कब्ज़े में ले लिया था। फिर भी, उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए अगली सुबह तक इंतज़ार किया। पुलिस ने शिकायत लिखने वाले व्यक्ति–जयरामा–से भी पूछताछ नहीं की, ताकि इस देरी का कारण पता लगाया जा सके। पी.डब्लू-1 के अनुसार, जयरामा मृतक की मौत होने तक अस्पताल में ही मौजूद था। पहली जानकारी देने वाले (मुखबिर) पी.डब्लू-1 के इस तरह के स्पष्ट रूप से संदिग्ध आचरण को देखते हुए, उसके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, पेश किए गए सबूत केवल सुनी-सुनाई बातों (hearsay) पर आधारित हैं, जिन पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता।

30. एक और पहलू भी है। पहली जानकारी में, पी.डब्लू-1 ने बताया था कि पड़ोसियों - कुमारी हेमा, महेश, सरोजम्मा और अन्य लोगों, जिनमें पुलिसकर्मी नंजुंडा स्वामी की पत्नी श्रीमती हिरेमानी भी शामिल थीं - ने खिड़की से देखा था कि उनकी मृत बेटी X बेहोश पड़ी थी और फ़ोन लगातार बज रहा था। उन्होंने आगे बताया कि इन पड़ोसियों ने दरवाज़ा खुलवाया, जिसके बाद पी.डब्लू-3 और पी.डब्लू-4 आए और उनकी मृत बेटी X को नर्सिंग होम ले गए। सरोजम्मा और महेश ने पी.डब्लू-8 और पी.डब्लू-9 के तौर पर गवाही दी, लेकिन दोनों को ही 'होस्टाइल गवाह' (विरोध करने वाले गवाह) घोषित कर दिया गया। दोनों ने कहा कि पुलिस ने उनके बयान दर्ज नहीं किए थे और उन्हें मृतका की मौत के कारण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस तरह, पड़ोसियों में से केवल दो लोगों से ही पूछताछ की गई, और उन्हें भी 'होस्टाइल' घोषित कर दिया गया। पुलिस ने किसी अन्य पड़ोसी से पूछताछ नहीं की। अभियोजन पक्ष के पास इस तरह की स्पष्ट चूक के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है। फिर, जानकारी देने वाले (मुखबिर) पी.डब्लू-1 के अनुसार, ये पड़ोसी ही थे जिन्होंने सबसे पहले खिड़की से मृतका को ज़मीन पर दर्द से कराहते हुए देखा था, जबकि फ़ोन लगातार बज रहा था। यह बात बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं लगती कि जब रिसीवर लटका हुआ था (जैसा कि पी.डब्लू-4 शांता की गवाही से सामने आया है), तो फ़ोन लगातार कैसे बज सकता था। इस तरह के स्पष्ट विरोधाभासों और चूकों से एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए।

प्रासंगिक विधिक प्रावधान

31. भारत में, आई.पी.सी की धारा 309 के तहत आत्महत्या करने की कोशिश करना एक अपराध है। यह धारा यह प्रावधान करती है कि जो कोई भी आत्महत्या करने की कोशिश करता है और इस अपराध को करने की दिशा में कोई भी कार्य करता है, उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माना लगाया जा सकता है, या दोनों हो सकते हैं। लेकिन एक बार जब आत्महत्या कर ली जाती है, यानी अपराध पूरा हो जाता है, तो ज़ाहिर है कि ऐसा व्यक्ति कानून की पहुँच से बाहर हो जाएगा; उसे दंडित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे मामले में, जो कोई भी ऐसी आत्महत्या के लिए उकसाता है, उसे आई.पी.सी की धारा 306 के तहत दंडित किया जाएगा। आई.पी.सी की धारा 306 इस प्रकार है:

> **306. आत्महत्या के लिए उकसाना** - यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, तो जो कोई भी ऐसी आत्महत्या के लिए उकसाएगा, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी भागी होगा।

31.1. अतः, आई.पी.सी की धारा 306 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो जो कोई भी ऐसी आत्महत्या के लिए उकसाता है, उसे किसी भी

प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकती है, और वह जुर्माने का भी भागी होगा।

32.आई.पी.सी की धारा 306 में सबसे अहम शब्द 'उकसाना' (abets) है। 'उकसाने' की परिभाषा आई.पी.सी की धारा 107 में दी गई है। धारा 107 इस प्रकार है:

107. किसी कार्य के लिए दुष्प्रेरण- कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, जो

पहला- किसी व्यक्ति को वह काम करने के लिए उकसाना; या

दूसरा- उस काम को करने के लिए किसी साज़िश में एक या ज़्यादा दूसरे व्यक्ति या लोगों के साथ शामिल होना, अगर उस साज़िश के तहत और उस काम को करने के लिए कोई काम या गैर-कानूनी चूक होती है; या

तीसरा–जान-बूझकर, किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा, उस कार्य को करने में सहायता करता है।

स्पष्टीकरण 1.- कोई व्यक्ति जो जान-बूझकर गलत बयानी करके, या किसी ऐसी ज़रूरी बात को जान-बूझकर छिपाकर, जिसे बताना उसकी ज़िम्मेदारी है, अपनी मर्ज़ी से कोई काम करवाता है या करवाने की कोशिश करता है, तो उसे उस काम को करने के लिए उकसाने वाला कहा जाता है।

स्पष्टीकरण 2.- जो कोई भी, किसी कार्य को करने से पहले या उस कार्य को करते समय, उस कार्य को करने में सहायता करने के उद्देश्य से कुछ भी करता है, और इस प्रकार उस कार्य को करने में सहायता करता है, तो उसे उस कार्य को करने में सहायता करना कहा जाता है।

32.1. आई.पी.सी की धारा 107 को पढ़ने से यह नतीजा निकलता है कि कोई व्यक्ति किसी काम को करने में तब मदद कर रहा होगा, जब वह किसी दूसरे व्यक्ति को वह काम करने के लिए उकसाता है; या जब वह एक या एक से ज़्यादा व्यक्तियों के साथ मिलकर उस काम को करने की किसी साज़िश में शामिल होता है; या जब वह जान-बूझकर किसी काम या गैर-कानूनी चूक के ज़रिए उस काम को करने में मदद करता है। स्पष्टीकरण 1 यह साफ़ करता है कि अगर कोई व्यक्ति जान-बूझकर गलतबयानी करके या किसी ज़रूरी बात को छिपाकर–जिसे बताना उसकी ज़िम्मेदारी थी–किसी काम को करवाने की कोशिश करता है, तो उसे भी उस काम को करने के लिए उकसाने वाला माना जाएगा। इसी तरह, स्पष्टीकरण 2 के ज़रिए यह साफ़ किया गया है कि जो कोई भी किसी काम को आसान बनाने के लिए, चाहे उस काम के होने से पहले या उस काम के होते समय, कोई भी कदम उठाता है, तो उसे उस काम को करने में मदद करने वाला माना जाएगा।

33. आत्महत्या, हत्या से इस मायने में भिन्न है कि इसमें व्यक्ति स्वयं अपनी जान लेता है। इस न्यायालय ने **एम. मोहन बनाम राज्य**[1] मामले में 'आत्महत्या' शब्द के अर्थ पर विचार किया और निम्नानुसार निर्णय दिया:

> **37.** 'आत्महत्या' (Suicide) शब्द को दंड संहिता में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है; तथापि, इसका अर्थ और आशय भली-भांति ज्ञात है और इसके लिए किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। 'Sui' का अर्थ है 'स्वयं' और 'cide' का अर्थ है 'मारना'; इस प्रकार, इसका तात्पर्य स्वयं को मारने के कृत्य से है। संक्षेप में, आत्महत्या करने वाला व्यक्ति यह कृत्य स्वयं ही करता है, भले ही वह स्वयं को मारने के अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी भी साधन का प्रयोग करे।

34. **रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य**[2] के मामले में, इस न्यायालय ने 'उकसाना' (instigate) अथवा 'उकसाहट' (instigation) शब्द के अर्थ की गहन पड़ताल की और निम्नानुसार निर्णय दिया:

> **20.** उकसाने का मतलब है किसी को किसी "काम" को करने के लिए प्रेरित करना, आगे बढ़ाना, भड़काना, उकसाना या प्रोत्साहित करना। उकसाने की शर्त को पूरा करने के लिए, यह ज़रूरी नहीं है कि उस मकसद के लिए असल शब्दों का ही इस्तेमाल किया गया हो, या यह ज़रूरी नहीं है कि जो बात उकसाने का काम कर रही है, वह सीधे तौर पर और खास तौर पर उसके नतीजों की ओर ही इशारा करे। फिर भी, नतीजों को भड़काने की एक उचित निश्चितता साफ़ तौर पर समझ में आनी चाहिए। यह मामला ऐसा नहीं है जिसमें आरोपी ने अपने कामों या चूक से, या लगातार किए गए व्यवहार से ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर दी हों कि मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई और चारा ही न बचा हो; अगर ऐसा होता, तो उकसाने का अनुमान लगाया जा सकता था। गुस्से या भावनाओं के आवेश में कहे गए ऐसे शब्द, जिनका मकसद असल में वे नतीजे लाना न हो, उन्हें उकसाना नहीं कहा जा सकता।
>
> **34.1.** इस प्रकार, इस न्यायालय ने यह माना कि 'उकसाने' का अर्थ है किसी 'कार्य' को करने के लिए प्रेरित करना, ज़ोर देना, भड़काना, उकसाना या प्रोत्साहित करना। 'उकसाने' की शर्त को पूरा करने के लिए, यह ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए असल में शब्दों का ही इस्तेमाल किया गया हो, या यह कि वे शब्द या कार्य अनिवार्य रूप से और विशेष रूप से उसके परिणाम की ओर ही इशारा करते हों। लेकिन, परिणाम को भड़काने की एक उचित निश्चितता स्पष्ट रूप

---

1 [2011] 3 एस.सी.आर 437 : (2011) 3 एस.सी.सी 626

2 [2001] अनुपूरक 4 एस.सी.आर 247 : (2001) 9 एस.सी.सी 618

से सामने आनी चाहिए। जहाँ अभियुक्त अपने किसी कार्य या चूक से, या अपने लगातार आचरण से ऐसी स्थिति पैदा कर देता है कि मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई और विकल्प ही न बचे, तो वहाँ उकसाने का अनुमान लगाया जा सकता है। गुस्से या आवेश में आकर कहे गए ऐसे शब्द, जिनका परिणाम असल में सामने लाने का कोई इरादा न हो, उन्हें उकसाना नहीं कहा जा सकता।

35. **चित्रेश कुमार चोपड़ा बनाम राज्य**[3] के मामले में, इस न्यायालय ने आगे विस्तार से बताया और कहा कि 'उकसाने' के लिए, किसी व्यक्ति को दूसरे को उकसाने के लिए प्रेरित करना, उकसाना, आग्रह करना या प्रोत्साहित करना आवश्यक है। न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

> **17.** इस प्रकार, "उकसाने" (instigation) के लिए, जो व्यक्ति किसी दूसरे को उकसाता है, उसे "उकसाना" (goading) या "आगे बढ़ाने" (urging forward) के ज़रिए, दूसरे व्यक्ति को कोई काम करने के लिए भड़काना, उकसाना, प्रेरित करना या प्रोत्साहित करना होगा। "Goad" शब्द का डिक्शनरी में अर्थ है "कोई ऐसी चीज़ जो किसी को काम करने के लिए प्रेरित करती है; किसी काम या प्रतिक्रिया के लिए उकसाती है" (संक्षिप्त ऑक्सफ़ोर्ड अंग्रेज़ी शब्दकोश देखें); "किसी को तब तक परेशान या नाराज़ करते रहना जब तक वह कोई प्रतिक्रिया न दे" (ऑक्सफ़ोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी, 7वाँ संस्करण देखें)।
>
> **18.** इसी प्रकार, "उत्प्रेरित" (urge) का अर्थ है किसी को कोई काम करने की सलाह देना, या उसे इसके लिए राज़ी करने की पुरज़ोर कोशिश करना; अथवा किसी व्यक्ति को तेज़ी से या किसी विशेष दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना–विशेषकर उसे धक्का देकर या ज़ोर-ज़बरदस्ती करके। अतः, जो व्यक्ति किसी दूसरे को उकसाता है, उसे उस दूसरे व्यक्ति को "प्रेरित" (goad) या "आगे की ओर धकेलना" (urge forward) पड़ता है–और ऐसा करने के पीछे उसका इरादा उस व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए भड़काना, उकसाना या प्रोत्साहित करना होता है।

35.1. “उत्प्रेरित” (urge) का अर्थ है किसी को कोई काम करने की सलाह देना या उसे इसके लिए राज़ी करने की ज़ोरदार कोशिश करना; या किसी व्यक्ति को ज़्यादा तेज़ी से और/या किसी खास दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना–खास तौर पर उसे धक्का देकर या ज़ोर-ज़बरदस्ती करके।

I. अभियुक्त मृतक को शब्दों, कर्मों या जानबूझकर की गई चूक या आचरण से लगातार परेशान या नाराज़ करता रहा, जो तब तक जानबूझकर चुप्पी भी हो सकती है जब तक कि मृतक ने प्रतिक्रिया नहीं की या अपने कर्मों, शब्दों से मृतक को धक्का नहीं दिया या

3 [2009] 13 एससीआर 230 : (2009) 16 एससीसी 605

मजबूर नहीं किया या अभियुक्त मृतक को शब्दों, कर्मों या जानबूझकर की गई चूक या आचरण से लगातार परेशान या नाराज़ करता रहा, जो तब तक जानबूझकर चुप्पी भी हो सकती है जब तक कि मृतक ने प्रतिक्रिया नहीं की या अपने कर्मों, शब्दों से मृतक को धक्का नहीं दिया या मजबूर नहीं किया या

II. यह कि अभियुक्त का इरादा, ऊपर बताए गए तरीके से कार्य करते हुए, मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाना, प्रेरित करना या प्रोत्साहित करना था। निस्संदेह, 'मेन्स रिया' (अपराधिक मनःस्थिति) की उपस्थिति, उकसाने के अपराध का एक अनिवार्य अंग है।

36. **अमलेंदु पाल उर्फ झंटू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य**[4] के मामले में, इस न्यायालय ने कुछ पिछले निर्णयों का हवाला देने के बाद यह माना कि यह लगातार राय रही है कि आई.पी.सी की धारा 306 के तहत किसी आरोपी को किसी अपराध का दोषी ठहराने से पहले, न्यायालय को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की पूरी सावधानी से जांच करनी चाहिए और उसके सामने पेश किए गए सबूतों का भी मूल्यांकन करना चाहिए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि पीड़ित के साथ की गई क्रूरता और उत्पीड़न ने पीड़ित के पास अपनी जान लेने के अलावा कोई और विकल्प तो नहीं छोड़ा था। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि आत्महत्या के कथित दुष्प्रेरण के मामले में, आत्महत्या करने के लिए उकसाने वाले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृत्य (कृत्यों) का सबूत होना आवश्यक है। केवल उत्पीड़न के आरोप के आधार पर, बिना किसी ऐसे सकारात्मक कृत्य के जो घटना के समय के निकट हो और जो मृतक को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित या विवश करे, आई.पी.सी की धारा 306 के तहत दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती। इसके बाद, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया:

> **13.** किसी मामले को आई.पी.सी की धारा 306 के दायरे में लाने के लिए, यह ज़रूरी है कि वह आत्महत्या का मामला हो; और इस अपराध को करने में, जिस व्यक्ति पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है, उसने उकसाने वाले किसी काम से या आत्महत्या को आसान बनाने वाले किसी काम से, इसमें सक्रिय भूमिका निभाई हो। इसलिए, जिस व्यक्ति पर इस अपराध का आरोप है, उसके द्वारा उकसाने का काम अभियोजन पक्ष को साबित और स्थापित करना होगा, तभी उसे आई.पी.सी की धारा 306 के तहत दोषी ठहराया जा सकता है।

37. **उदे सिंह** (उपर्युक्त) में न्यायालय द्वारा भी इसी प्रकार का मत व्यक्त किया गया है।

38. राजेश बनाम हरियाणा राज्य5 के मामले में, इस न्यायालय ने आई.पी.सी की धारा 306 और 107 का संदर्भ देते हुए निम्नलिखित निर्णय दिया:

---

4 [2009] 15 एस.सी.आर 836 : (2010) 1 एस.सी.सी 707

5 (2020) 15 एस.सी.सी 359

9. आई.पी.सी की धारा 306 के तहत सज़ा, सिर्फ़ उत्पीड़न के आरोप पर तब तक सही नहीं मानी जा सकती, जब तक कि आरोपी की ओर से घटना के समय के आस-पास कोई ऐसा ठोस कदम न उठाया गया हो, जिसने पीड़ित को आत्महत्या करने के लिए उकसाया या मजबूर किया हो। किसी मामले को आई.पी.सी की धारा 306 के दायरे में लाने के लिए, यह ज़रूरी है कि आत्महत्या का मामला हो, और इस अपराध को अंजाम देने में, जिस व्यक्ति पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है, उसने उकसाने वाले किसी काम से या आत्महत्या को आसान बनाने वाले किसी काम से सक्रिय भूमिका निभाई हो। इसलिए, इस अपराध के आरोपी व्यक्ति द्वारा उकसाने का काम, अभियोजन पक्ष द्वारा साबित और स्थापित किया जाना ज़रूरी है, तभी उसे आई.पी.सी की धारा 306 के तहत दोषी ठहराया जा सकता है।

39. एम. मोहन (उपर्युक्त) के फ़ैसले का ज़िक्र करते हुए, इस कोर्ट ने कहा कि उकसाने में एक मानसिक प्रक्रिया शामिल होती है, जिसमें किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए उकसाया जाता है या जान-बूझकर उसकी मदद की जाती है। अगर आरोपी की तरफ़ से आत्महत्या करने के लिए उकसाने या मदद करने का कोई साफ़ काम न हो, तो सज़ा को सही नहीं ठहराया जा सकता। विधायिका के इरादे को साफ़ करते हुए और इस कोर्ट द्वारा तय किए गए मामलों के आधार पर, यह नतीजा निकाला गया कि आई.पी.सी की धारा 306 के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए, अपराध करने का साफ़ इरादा होना ज़रूरी है। इसके लिए एक सक्रिय या सीधा काम भी ज़रूरी है, जिसकी वजह से मृतक को आत्महत्या करने के अलावा कोई और रास्ता न दिखे, और आरोपी का यह काम मृतक को ऐसी स्थिति में धकेलने के इरादे से किया गया हो कि वह आत्महत्या कर ले।

40. सावधानी बरतते हुए, न्यायालय ने **बंगाल राज्य बनाम ओरिलाल जायसवाल**[6] मामले में यह टिप्पणी की कि न्यायालय को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, साथ ही मुकदमे के दौरान पेश किए गए सबूतों का मूल्यांकन करते समय अत्यंत सतर्क रहना चाहिए। ऐसा इसलिए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पीड़ित के साथ की गई क्रूरता ने वास्तव में उसे आत्महत्या करके अपनी जान लेने के लिए उकसाया था। यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि आत्महत्या करने वाली पीड़ित, उस समाज में घरेलू जीवन में होने वाली सामान्य चिड़चिड़ाहट, मनमुटाव और मतभेदों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील थी–जो कि उस समाज में काफी आम बात है जिससे पीड़ित ताल्लुक रखती थी–और यदि ऐसी चिड़चिड़ाहट, मनमुटाव और मतभेदों से वैसी ही परिस्थितियों में मौजूद किसी अन्य व्यक्ति के आत्महत्या करने की उम्मीद नहीं

6 [1993] अनुपूरक 2 एससीआर 461 : (1994) 1 एससीसी 73

की जा सकती थी, तो न्यायालय की अंतरात्मा को इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि आत्महत्या के अपराध में उकसाने के आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाए।

विष (कीटनाशक) के अंश की बरामदगी न होना

41. इस मामले में एक और पहलू भी है। ज़हर, कीटनाशक या पेस्टिसाइड के सेवन या उसे दिए जाने के कारण हुई मृत्यु के मामले में–चाहे वह हत्या हो या आत्महत्या– ऐसे ज़हर, कीटनाशक या पेस्टिसाइड के अंश का बरामद होना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

42. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृतक की दोनों कोहनियों के आगे के हिस्से पर इंजेक्शन के कई निशान पाए गए। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि दाहिनी कलाई के आगे के हिस्से पर 5 सेंटीमीटर लंबा, ऊपरी तौर पर कटा हुआ एक घाव था, जो आंशिक रूप से भर चुका था। पेट, छोटी आंत और उसके अंदर की सामग्री, लिवर, किडनी और खून को सुरक्षित रख लिया गया। इन्हें सील करके 07.07.2000 को फोरेंसिक साइन्स लैब, बैंगलोर में केमिकल जांच के लिए भेज दिया गया। केमिकल जांच रिपोर्ट की तारीख 10.10.2000 है। 10.10.2000 की रिपोर्ट में बताया गया कि थिन लेयर क्रोमटोग्राफी से कलर टेस्ट किया गया, जिसमें पेट, छोटी आंत, लिवर, किडनी और खून में ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक की मौजूदगी की पुष्टि हुई। इसी आधार पर, जिस डॉक्टर ने पोस्टमॉर्टम किया था (पी.डब्लू-13), उन्होंने अपनी अंतिम राय दी कि मृतक की मौत ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड वाला पदार्थ खाने के कारण सांस रुकने से हुई थी।

43. आगे बढ़ने से पहले, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट की तारीख 10.10.2000 है, जबकि पी.डब्लू-13 की आखिरी राय की तारीख 09.01.2001 है; इस तरह इसमें तीन महीने की देरी हुई है। बेशक, पी.डब्लू-13 ने कहा कि उन्हें रिपोर्ट 09.01.2001 को ही मिली थी, जिस तारीख को उन्होंने अपनी आखिरी राय दी थी। जांच अधिकारी ने इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि पी.डब्लू-13 को केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट सौंपने में इतनी देरी क्यों हुई।

44. बहरहाल, PW-13 ने अपनी गवाही में यह भी बताया कि मृतक के शरीर पर कलाई के आंशिक रूप से ठीक हो चुके घाव के अलावा, दोनों कोहनियों के सामने के हिस्से पर इंजेक्शन के कई निशान भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि उन्हें 09.01.2000 को ही 10.10.2000 की तारीख वाली केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट मिली थी, जिसमें मृतक के विसरा (आंतरिक अंगों) में ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड की मौजूदगी पाई गई थी। अपनी जिरह (cross-examination) के दौरान, उन्होंने समझाया कि ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड एक कीटनाशक है। फोरेंसिक साइन्स लैब रिपोर्ट में मृतक के विसरा और खून में ज़हर की मात्रा का ज़िक्र नहीं किया गया था। इसके अलावा, उन्होंने यह भी बताया कि

इलाज के दौरान ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड की गंध महसूस की जा सकती थी। जब तक ज़हर दिमाग पर असर नहीं करता, तब तक मरीज़ होश में रहता है। मृतक की मृत्यु से पहले अस्पताल में उसका इलाज किया गया था।

45. जयसिंह पी. मोदी की किताब 'ए टेक्स्टबूक ऑफ मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस और टॉक्सिकोलॉजी' को मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस और टॉक्सिकोलॉजी के अलग-अलग पहलुओं पर एक आधिकारिक स्रोत माना जाता है। इसके 27वें एडिशन में, ऑर्गनोफॉस्फेट कंपाउंड और उनसे जुड़े ज़हरों के बारे में चैप्टर 3 में अकार्बनिक उत्तेजक विष (I)' शीर्षक के तहत बताया गया है। इसमें कहा गया है कि ऑर्गनोफॉस्फेट कंपाउंड का इस्तेमाल खेती में नरम शरीर वाले कीड़ों के लिए कीटनाशक के तौर पर बड़े पैमाने पर किया जाता है। इनकी आसानी से उपलब्धता और तेज़ी से असर करने की क्षमता ही इन्हें आत्महत्या और हत्या के मकसद से इस्तेमाल करने के लिए लोकप्रिय बनाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने ऑर्गनोफॉस्फेट कंपाउंड को उनकी जानलेवा क्षमता के आधार पर कम ज़हरीले, मध्यम ज़हरीले और बहुत ज़्यादा ज़हरीले कंपाउंड में बांटा है। ऑर्गनोफॉस्फेट कंपाउंड में हेक्साएथाइल टेट्राफॉस्फेट टेट्राफॉस्फेट (HETP), टेट्राएथाइल पाइरोफॉस्फेट (TEPP) - टेट्रॉन और फॉसवेक्स वगैरह शामिल हैं। ऑर्गनोफॉस्फेट कंपाउंड त्वचा, सांस लेने के रास्ते और GI (पेट और आंतों) सिस्टम से शरीर में सोख लिए जाते हैं। शरीर में प्रवेश करने के रास्ते के आधार पर, सांस लेने या GI से जुड़े लक्षण ज़्यादा साफ तौर पर दिखाई देते हैं। ऑर्गनोफॉस्फेट की ज़हरीलीता से मियोसिस (आंख की पुतली का सिकुड़ना), बार-बार पेशाब आना, दस्त वगैरह जैसे लक्षण हो सकते हैं। शुरुआती लक्षणों में सिरदर्द, जी मिचलाना, चक्कर आना, धुंधला दिखाई देना, आंखों की मांसपेशियों में फड़कन, जीभ का कांपना, मुंह से बहुत ज़्यादा झाग निकलना वगैरह शामिल हो सकते हैं। बाद में, उल्टी, पसीना आना, प्रलाप (बड़बड़ाना), कमज़ोरी और सांस लेने वाली मांसपेशियों का लकवा, रिफ्लेक्स का खत्म होना, पेशाब या मल पर नियंत्रण न रहना, ब्रोंकोस्पैज़्म (सांस की नली का सिकुड़ना), सायनोसिस (शरीर का नीला पड़ना), पल्मोनरी एडिमा (फेफड़ों में पानी भरना), दौरे पड़ना वगैरह हो सकते हैं; जिसके बाद कोमा और मौत भी हो सकती है। टेट्राएथिल पाइरोफॉस्फेट सबसे ज़्यादा ज़हरीला है और HETP सबसे कम। इसकी एक ऐसी खुराक जिससे लक्षण दिखाई देने लगें, वह 5 mg मांसपेशियों में इंजेक्शन द्वारा या 25 mg मुंह से लेने पर होती है। TEPP की 44-50 mg खुराक मांसपेशियों में इंजेक्शन द्वारा या 25-100 mg खुराक मुंह से लेने पर जानलेवा साबित हो सकती है। जानलेवा मामलों में, लक्षण 30 मिनट के अंदर शुरू हो जाते हैं और 30 मिनट से लेकर 3 घंटे के अंदर मौत हो जाती है।

46. इस मामले में, जिन डॉक्टरों ने पहले नर्सिंग होम में और बाद में मिशन हॉस्पिटल में मृतक का इलाज किया था, पुलिस ने उनसे पूछताछ नहीं की। उन्हें अदालत में गवाह के तौर पर भी नहीं बुलाया गया। उनकी गवाही बहुत अहम हो सकती थी। वे इस बात पर रोशनी डाल सकते थे कि ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड शरीर में कैसे पहुँचा: क्या इंजेक्शन के ज़रिए या मुँह से खाकर? क्या वे मरीज़ से ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड की गंध पहचान पाए थे? इस गंभीर कमी की गंभीरता इस बात से और बढ़ जाती है कि अभियोजन पक्ष अपराध स्थल से कोई भी सिरिंज या सुई बरामद करने में नाकाम रहा। जिस कमरे में मृतक ज़मीन पर पड़ा मिला था, उस कमरे से या घर के किसी

भी हिस्से से कीटनाशक वाला कोई कंटेनर या बोतल भी बरामद नहीं हुई। ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चले कि पुलिस ने ऐसे किसी कंटेनर या बोतल को खोजने की कोशिश की थी। अगर मृतक ने खुद ज़हर का इंजेक्शन लगाया होता–दोनों कोहनियों के सामने के हिस्से पर इंजेक्शन के कई निशान देखते हुए–तो सिरिंज और सुई उसके आस-पास ही कहीं होनी चाहिए थी। अगर उसने ज़हर मुँह से खाया होता, तो भी ज़हर की बोतल या कंटेनर अपराध स्थल पर या उसके आस-पास मौजूद होना चाहिए था। इस संबंध में बिल्कुल भी कोई सबूत नहीं है। इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि मृतक को वह कीटनाशक कहाँ से मिला था। सिरिंज, सुई या कंटेनर बरामद न होने के अलावा, पुलिस यह भी नहीं बता पाई कि मृतक ने वह खास कीटनाशक कहाँ से हासिल किया था। अगर अभियोजन पक्ष के मामले को सच माना जाए, तो सिरिंज, सुई या कंटेनर घटना स्थल पर ही मौजूद होने चाहिए थे। अभियोजन पक्ष को वे चीज़ें नहीं मिलीं। जाँच अधिकारी को कमरे में कीटनाशक का कोई निशान भी नहीं मिला। FSL रिपोर्ट और केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट, दोनों ही इस बारे में चुप हैं कि क्या ज़ब्त की गई किसी भी चीज़ से कीटनाशक का कोई निशान मिला था। अभियोजन पक्ष इस बारे में भी चुप है कि इस संबंध में कोई जाँच क्यों नहीं की गई। इस तरह के मामले में–जहाँ PW नंबर 1, 2 और 4 सहित मौखिक गवाहों की गवाही बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है–कीटनाशक वाले उस कंटेनर या बोतल का न मिलना, जिससे मृतक ने ज़हर मुँह से खाया था, बहुत अहम हो जाता है। इसी तरह, अगर मृतक ने ज़हर का इंजेक्शन लगाया था, तो सिरिंज और सुई का बरामद होना भी बहुत अहम है। एक सामान्य सिद्धांत के तौर पर, यह कहा जा सकता है कि ज़हर से हुई मौत के मामले में–चाहे वह हत्या हो या आत्महत्या–और जो परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित हो, मृतक द्वारा खाए गए या उसे दिए गए ज़हर के अंश का मिलना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह साक्ष्य की कड़ी का एक हिस्सा होता है; बल्कि, यह हत्या या आत्महत्या को साबित करने वाली उस पूरी कड़ी को ही पूर्ण कर देता है।

निष्कर्ष

47. इंसानी मन एक पहेली है। इंसानी मन के रहस्य को सुलझाना लगभग नामुमकिन है। किसी पुरुष या महिला के आत्महत्या करने या उसकी कोशिश करने के अनगिनत कारण हो सकते हैं: यह पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन न कर पाना, कॉलेज या हॉस्टल का दमनकारी माहौल (खासकर हाशिए पर पड़े वर्गों के छात्रों के लिए), बेरोज़गारी, आर्थिक परेशानियाँ, प्यार या शादी में निराशा, गंभीर या पुरानी बीमारियाँ, डिप्रेशन,

वगैरह-वगैरह हो सकते हैं। इसलिए, हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी ने आत्महत्या करने के लिए उकसाया हो। मृतक के आस-पास के हालात, जिनमें वह खुद को पाता है, ही ज़्यादा मायने रखते हैं।

48. मौजूदा मामले के तथ्यों पर आते हुए, हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिसके आधार पर हम अपीलकर्ता को मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहरा सकें। हालाँकि एक युवती की मृत्यु निश्चित रूप से बहुत दुखद है, लेकिन यह पूरी निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता कि आत्महत्या साबित हो गई है; आई.पी.सी की धारा 306 के तहत अपराध के लिए ज़रूरी दूसरा आवश्यक तत्व, यानी उकसाना, भी साबित हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता।

49. अतः, रिकॉर्ड पर मौजूद समस्त सामग्री का संयुक्त रूप से अवलोकन करने पर, यह न्यायालय इस मत का है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के विरुद्ध आई.पी.सी की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप सिद्ध करने में असफल रहा है। स्थापित विधिक स्थिति, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य तथा जैसा कि ऊपर इंगित किया गया है, अभियोजन पक्ष की स्पष्ट चूकें–ये सभी मिलकर किसी भी प्रकार के संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। इसलिए, हम बिना किसी हिचकिचाहट के इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अपीलकर्ता की दोषसिद्धि पूर्णतः अस्थिरणीय है।

50. इस स्थिति को देखते हुए, आई.पी.सी की धारा 306 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि रद्द की जाती है। ट्रायल कोर्ट का 06.07.2004 का वह फैसला और आदेश, जिसे हाई कोर्ट ने 17.09.2010 के फैसले और आदेश के ज़रिए सही ठहराया था, एतद्द्वारा रद्द और समाप्त किया जाता है।

51. चूँकि अपीलकर्ता पहले से ही ज़मानत पर है, इसलिए ज़मानत बांड निरस्त माने जाएँगे।

52. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है। कोई खर्च नहीं।

मामले का परिणाम:
अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।